ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218
PP. No.- 94-95
ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- III, Issues-29, YEAR- July-Sept.-2023

हमारे जीवन में मानवाधिकारों का महत्व

रमेश कुमार

सहा0 प्रोफेसर– अर्थशास्त्र विभाग, रामबचन सिंह राजकीय महिला महाविद्यालय, बगली–पिंजड़ा, मऊ (उ0प्र0), भारत

Received-25.07.2023, Revised-30.07.2023, Accepted-04.08.2023 E-mail: rameshecо75@gmail.com

सारांशः ***मानवाधिकार एक मानव के रूप में किसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाला नैसर्गिक अधिकार है। इसे प्रदान करने में प्रकृति ने न ही किसी मनुष्य को विशेष वरीयता दी है, और न ही किसी के साथ कोई भेदभाव ही किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार, "मानवाधिकार मनुष्य के वे मूलभूत सार्वभौमिक अधिकार हैं, जिनसे मनुष्य को नस्ल, जाति, राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग या किसी अन्य दूसरे कारक के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता है। मनवाधिकार इन तत्वों पर ध्यान दिए बिना सभी मनुष्य के लिए समान रूप से प्राप्त होने वाला अधिकार हैं। सभी व्यक्ति भेदभाव के बिना इन अधिकारों के हकदार हैं। ये अधिकार आपस में संबंधित, अन्योन्याश्रित और अविभाज्य हैं।" इन अधिकारों का अतिक्रमण विधि और नीति विरुद्ध तथा मानव मूल्यों के भी सर्वथा विपरीत है।***

कुंजीभूत शब्द– मानवाधिकार, नैसर्गिक अधिकार, वरीयता, सार्वभौमिक अधिकार, जाति, राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग, संरक्षण, अविभाज्य।

मानवाधिकार सामाजिक जीवन की वे आवश्यक परिस्थितियां हैं, जिनके अभाव में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता। व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए कुछ मूलभूत मांगें रखता है, जब इन मांगों को समाज की मान्यता प्राप्त हो जाती है, तब वे अधिकार के रूप में स्थापित हो जाते हैं। मानवाधिकार का तात्पर्य व्यक्ति के ऐसे ही अधिकारों से है, जो उसे केवल व्यक्ति होने के नाते प्राप्त होने चाहिए। चाहे उसकी प्रजाति, राष्ट्रीयता, नस्ल, धर्म अथवा लिंग कुछ भी हो। मानवाधिकार वस्तुतः मानव की प्रकृति में अंतर्निहित है। इसलिए मानव की गरिमा एवं सम्मान की रक्षा के लिए इनका संरक्षण आवश्यक है। मानव अधिकार मानव जीवन की वे आवश्यक शर्तें हैं, जो मनुष्य की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक आवश्यकताओं को पूरा कर उसके विकास का मार्ग को प्रशस्त करती हैं।

मानव प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ कृति है। इसके समुचित उत्थान और विकास के लिए आवश्यक है कि उसे जन्म से ही कुछ मूलभूत अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाएं। यह समाज तथा सरकार का दायित्व होना चाहिए कि वे प्रत्येक व्यक्ति को समाज में सम्मान और सुरक्षा के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए सभी आवश्यक संसाधन और अवसर उपलब्ध कराएं। इस संदर्भ में यह कहना अनुचित न होगा कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना ही लोकतांत्रिक सरकारों का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए।

विवेचन और विश्लेषण– प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य इस बात की जांच करना है कि मानवाधिकार हमारे जीवन के लिए कितने आवश्यक, उपयोगी और प्रासंगिक है। मानव की व्यक्तिगत उन्नति एवं सामाजिक समरसता को बनाए रखने में इसकी भूमिका क्या है तथा मानवाधिकारों के संरक्षण की वर्तमान स्थिति एवं संभावित चुनौतियां कौन सी हैं? साथ ही वे कौन से उपाय किए जा सकते हैं, जिनसे मानवाधिकारों का संरक्षण करके व्यक्तियों को गरिमा पूर्ण जीवन देकर उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है।

संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार घोषणा पत्र के आधार पर संसार के प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त 30 प्रकार के अधिकारों को मोटे तौर पर तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम श्रेणी में आर्थिक अधिकारों को रखा गया है, जिनके अंतर्गत सभी व्यक्तियों को भोजन वस्त्र मकान रोजगार और सामान्य जीवन स्तर सुनिश्चित कराना है। दूसरी श्रेणी में राजनीतिक अधिकारों को सम्मिलित किया गया है, जिसके अंतर्गत कानून के समक्ष सभी लोगों को बराबर माना गया है इसके अंतर्गत लोगों को विचार व्यक्त करने का अधिकार, गोपनीयता, राष्ट्रीयता, चुनाव और शासन में भागीदारी का अधिकार तथा संगठन बनाकर शांतिपूर्ण सभा करने की आजादी दी गई है। तीसरी श्रेणी में सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को जगह दी गई है, जिसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को शैक्षिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने की आजादी प्रदान की गई है।

यह सर्वविदित तथ्य है कि मानवाधिकार का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। संसार के सारे कानून, नियम, संविधान, संस्कार, एवं परंपराएं मानवाधिकारों के संरक्षण एवं उनके अतिक्रमण को रोकने के लिए ही बनाए गए हैं। प्राचीन समय में राजा का प्रथम कर्तव्य होता था कि वह अपनी प्रजा की हर प्रकार से सुरक्षा करे तथा उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखें। आदर्श नागरिकता, प्रजातंत्र, मानववाद, राष्ट्रीय एकता तथा अंतर्राष्ट्रीय भावना जैसे मूल्य समाज और राजनीति दोनों को स्पर्श करते हैं। व्यक्तियों से ही समाज और समाज से व्यक्तियों का अस्तित्व है। व्यक्तियों के मानवाधिकारों के संरक्षण के उद्देश्य से ही किसी देश, राज्य, अथवा शासकीय तंत्र की व्यवस्था की जाती है। संयुक्त राष्ट् संघ, केंद्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार न्यायालय, समाज कल्याण विभाग जैसी संस्थाओं की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भी यही रहा है।

देश में मानवाधिकार के वर्तमान परिदृश्य का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में काफी कुछ सामान्य नहीं है। हर कदम पर उसके समक्ष असामान्य परिस्थितियां एवं कठिन चुनौतियां हैं। सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं, इस सत्य को तो सभी स्वीकार करते हैं, किंतु सबके लिए सुख, सम्मान और अधिकारों की समान व्यवस्था हो, यह समाज की एक वर्ग को स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि शायद वह इस आम आदमी को आदमी समझता ही नहीं है। सामान्य व्यक्ति के मन में इस मानसिकता के कारण लघुतापूर्ण हीनता और अपार पीड़ा उत्पन्न होती है। वह इस बात को लेकर कर परेशान हो जाता है कि क्या उसका जीवन केवल अत्याचार और तिरस्कार सहन करने के लिए ही है।

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- III, Issues-29, YEAR- July-Sept.-2023

एक सामान्य और वंचित व्यक्ति जब कभी अपने गौरवशाली इतिहास का अवलोकन करता है, तो उसे अपने साथ हुए शोषण, अन्याय व छल के अनेक काले अध्याय मिल जाते हैं, किंतु गौरव महसूस करने के लिए एक भी उज्जवल पन्ना नसीब नहीं होता। इन ग्रंथों के माध्यम से रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं सम्मान विहीन अस्तित्व एवं अत्याचार, शोषण व दासता युक्त नारकीय जीवन को सदैव देव कृत, पूर्वकर्म तथा उसके पापों का फल बताया जाता है, और उसे आलसी मंदबुद्धि, अनिपुण तथा असभ्य बताकर प्रमाणित करने की कोशिश की जाती है। इसके विपरीत शोषक वर्ग अपनी सफलता, प्रभाव, प्रतिष्ठा, संपत्ति तथा सत्ता को अपने परिश्रम, पुण्य, सद्गुण व ईमानदारी का पुरस्कार मानता हैय जबकि उनके मध्य अवसरों की सुलभता और दुर्लभता का तत्व अधिक प्रभावी होता है। जिसकी प्रायः अनदेखी की जाती है।

यद्यपि मानव अधिकारों के संरक्षण के क्रम में अभी बहुत सारे कार्य किए जाने बाकी है, किंतु इस संदर्भ में अधिक नकारात्मक भाव रखा रखना भी उचित नहीं है। सभ्यता के विकास के क्रम में मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु अनेक राजा–महाराजाओं, संत–महात्माओं, सरकारों–नौकरशाहों, सरकारी, अर्द्धसरकारी तथा स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा अनेक कार्य किए गए हैं, जिनकी प्रशंसा की ही जानी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की प्रस्तावना में कहा गया है कि "हम संयुक्त राष्ट्र के लोग मूलभूत मानवाधिकारों में, मानव गरिमा और महत्त्व में, तथा स्त्री पुरुष के समान अधिकारों में, आस्था व्यक्त करते हैं।" संयुक्त राष्ट्र के 1948 के इस घोषणा पत्र में नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार तथा सांस्कृतिक अधिकार से जुड़े 5 मानवाधिकारों के संरक्षण का संकल्प लिया गया।

भारत का संविधान मौलिक अधिकारों के रूप में मानव अधिकारों के संरक्षण के संदर्भ में अग्रदूत की भूमिका में है। इसमें समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों के अधिकार के रूप में मानवाधिकारों के संरक्षण की जो विस्तृत श्रृंखला और अनुपम व्यवस्था है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। संविधान का एक–एक उपबंह मानवाधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था को संवर्धित और परिष्कृत करता है। इस संदर्भ में भारतीय संविधान को मानव अधिकारों के संरक्षण का संविधान कहां जाए तो कोई अतिशयक्ति न होगी।

इतने सारे कानूनी उपबंध होने के बावजूद यह मानने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि मानवाधिकारों की उल्लंघन की घटनाएं प्रायः होती रहती हैं और उनके संरक्षण की कोई संतोषजनक, पारदर्शी व प्रभावी व्यवस्था नहीं है, जो व्यवस्था है भी, उनमें निष्पक्षता तथा इच्छाशक्ति का नितांत अभाव है। इन प्रावधानों के दुरुपयोग के मामले भी प्रायः सामने आते रहते हैं, जिनसे पता चलता है कि पीड़ित व्यक्ति को राहत पहुंचाने की बजाय पुलिस, प्रशासन और सरकारी मशीनरी शोषक वर्ग को ही संरक्षण देने में संलग्न रहती है। ऐसी स्थिति में पीड़ित व्यक्ति का मनोबल टूट जाता है। ऐसे में कानून के प्रति उसकी आस्था और विश्वास को बनाए रख पाना कठिन हो जाता है।

उपसंहारः– वर्तमान परिदृश्य में मानवाधिकारों का नैसर्गिक संदर्भ में मूल्यांकन करने पर हम पाते हैं कि मानवाधिकारों का निर्माण मानव के मूलभूत अधिकारों की रक्षा के लिए किया गया है। सभी अधिकार मानव से ही प्रारम्भ होते हैं और सभी का उद्देश्य स्वस्थ मानव–मूल्यों का संवर्धन और संतुलित समाज का रचना करना है, इसलिए आज के संघर्षपूर्ण वातावरण में राष्ट्र के आदर्शात्मक स्वरूप को बनाए रखने के लिए मानव अधिकारों की व्याख्या और उसके मूल्यांकन पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता हैय ताकि मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु, तर्कसंगत, विवेकीकृत एवं संवेदनायुक्त समाधान प्रस्तुत किया जा सके, जिससे एक स्वास्थ्य और समृद्ध समाज की रचना फलीभूत हो सके।

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामयः ।
सर्वे भद्राणि पश्यंतु मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत् ।।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. ओझा, एन. इन. भारत की सामाजिक समस्याएं पृष्ठ 352.
2. अग्रवाल, एच. ओ., अंतर्राष्ट्रीय विधि, सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन इलाहाबाद, (1992) कृष्ण 346.
3. पांडेय, डॉक्टर ज. एन.: भारत का संविधान, सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन, इलाहाबाद, 2010.
4. अवस्थी, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार., मानवाधिकार ओरियंट पब्लिशिंग कंपनी, नई दिल्ली 2001.

*****